उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : uttarakhandayurved@gmail.com

पत्रांक : 1212/उ0आ0वि0/अधि0/विज्ञप्ति/2017–18 **दिनांक : 22 जुलाई, 2017**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं ऋषिकुल/गुरुकुल परिसरों में आयुर्वेदिक कॉलेजों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक संवर्गों के रिक्त पदों को नियमित/प्रतिनियुक्ति आधार पर (मैरिट/लिखित/साक्षात्कार) भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये **निर्धारित प्रारूप पर** आवेदन पत्र भरकर **दिनांक 25.08.2017 की अपरान्हः 5:00 बजे तक** मात्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। पदनाम, पदों की संख्या, निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा आवेदन प्रारूप का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in पर उपलब्ध है।

Gakkhar

(प्रोफेसर अनूप कुमार गक्खड़)
कुलसचिव

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या : 1212 / उ0आ0वि0 / अधि0 / विज्ञप्ति / 2017--18

दिनांक : 22 जुलाई, 2017

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के मुख्य परिसर एवं हरिद्वार स्थित ऋषिकुल / गुरूकुल परिसरों के आयुर्वेदिक कालेजों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न शैक्षिक / तकनीकी / प्रशासनिक संवर्गों के रिक्त पदों को नियमित / प्रतिनियुक्ति आधार पर (मैरिट / लिखित / साक्षात्कार) भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय की वेबसाईट के **www.uau.ac.in** के माध्यम से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर शुल्क व समस्त वांछित संलग्नकों सहित उन्हें **दिनांक 25.08.2017 की अपरान्हः 5:00 बजे तक** मात्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। संवर्गवार रिक्त पदों का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् है :–

शैक्षणिक संवर्ग				
Post Code	Departments	Professor Pay Scale – Rs. 37400-67000 (AGP 10000) (A)	Associate Professor Pay Scale – Rs. 37400-67000 (AGP 9000) (B)	Assistant Professor Pay Scale – Rs. 15600-39100 (AGP 6000) (C)
01	SAMHITA SAMSKRIT AND SIDDHANT	-	02 (01 GEN, 01 SC)	06 (04 GEN, 02 SC)
02	KRIYA SHARIR	02 (01 GEN, 01 SC)	01 (01 GEN)	02 (01 SC, 01 OBC)
03	SHARIR RACHNA	-	01 (01 GEN)	02 (01 SC, 01 OBC)
04	DRAVYA GUNA	02 (01 GEN, 01 SC)	01 (01 OBC)	04 (02 GEN, 01 SC, 01 ST)
05	RAS SHASTRA	-	01 (01 GEN)	01 (01 OBC)
06	ROG NIDAN	-	02 (01 GEN, 01 SC)	04 (02 GEN , 01 OBC, 01 SC)
07	SWASTHA VRITTA	02 (01 GEN, 01 SC)	01 (01 SC)	04 (02 GEN, 01 SC, 01 OBC)
08	AGAD TANTRA	02 (01 GEN, 01 OBC)	02 (01 GEN , 01 OBC)	04 (03 GEN, 01 SC)
09	KAUMAR BHRITYA	02 (01 GEN, 01 SC)	01 (01 SC)	04 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC)
10	STREE AND PRASUTI	02 (01 GEN, 01 OBC)	03 (02 GEN, 01 OBC)	05 (01 GEN, 02 SC, 01 ST, 01 OBC)
11	SHALYA	-	03 (02 GEN, 01 SC)	04 (02 SC, 01 OBC, 01 ST)
12	SHALAKYA	02 (01 GEN, 01 SC)	03 (02 GEN, 01 OBC)	04 (02 GEN, 01 OBC, 01 SC)
13	KAYA CHIKITSA	01 (01 OBC)	01 (01 ST)	04 (02 GEN , 01 SC, 01 OBC)
14	PANCHKARMA	-	02 (01 GEN, 01 SC)	05 (04 GEN, 01 SC)
15	SANSKRIT	-	-	01 (OBC)
16	PATHOLOGIST (AYURVED)	-	-	01 (GEN)
17	RADIOLOGIST (AYURVED)	-	-	02 (01 GEN, 01 OBC)
18	ANESTHETIST (AYURVED)	-	-	01 (SC)

19	BIOTECHNOLOGY	-	-	01 (GEN)
20	CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY	-	-	01 (GEN)
21	HUMAN AND AYURVEDIC BIOLOGY	-	-	01 (GEN)
22	CLINICAL PHARMACOLOGY	-	-	01 (OBC)
23	PHYTOCHEMISTRY	-	-	01(GEN)
	TOTAL	**15** GEN – 07 SC – 05 OBC - 03	**24** GEN – 13 SC – 06 ST – 01 OBC - 04	**63** GEN – 30 SC – 17 ST – 03 OBC - 13

प्रशासनिक संवर्ग

पद कोड़	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
24	उप कुलसचिव	8000–13500 (पुराना वेतनमान)	01	01 GEN (प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जायेगा)

चिकित्सालय / तकनीकी संवर्ग

पद कोड़	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या	आरक्षण की स्थिति
25	चिकित्साधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	19	11 GEN, 05 SC, 03 OBC
26	स्टाफ नर्स	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	35	21 GEN, 09 SC, 04 OBC, 01 ST (केवल महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा)
27	एक्सरे टेक्नीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	03	02 GEN, 01 SC
28	पंचकर्म सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	14	09 GEN, 03 SC, 02 OBC
29	प्रयोगशाला तकनीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	16	10 GEN, 02 OBC, 04 SC

नोट :–

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं / पूर्व सैनिकों / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों / कुशल खिलाड़ियों / राज्य आन्दोलनकारी (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन) / उनके पात्र आश्रितों / शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को **नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।** पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति / आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तद्नुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।

(2) शैक्षणिक संवर्ग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों (पद कोड संख्या 1 से 23) पर विषयवार / पदवार अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में विश्वविद्यालय देहरादून केन्द्र में लिखित परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। तदोपरान्त लिखित परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पदवार / विषयवार आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेरिट / लिखित / साक्षात्कार परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(3) शैक्षणिक संवर्ग के प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर के पदों (पद कोड संख्या 1 से 23) पर विषयवार / पदवार अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में short-listing प्रक्रिया अपनाई

जायेगी। इस संबंध में आवश्यक short-listing व्यवस्था की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाएगा।

(4) प्रशासनिक संवर्ग के उप कुलसचिव पद (पद कोड संख्या 24) पर अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में short-listing प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस संबंध में आवश्यक short-listing व्यवस्था की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाएगा।

(5) चिकित्साधिकारी के पदों (पद कोड संख्या 25) पर अत्यधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में विश्वविद्यालय देहरादून केन्द्र में लिखित परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। तदोपरान्त लिखित परीक्षा में प्राप्तकों के आधार पर तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेरिट/लिखित/साक्षात्कार परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

(6) तकनीकी संवर्ग में (पद कोड संख्या 26 से 29 तक) अंकित पदों पर चयन प्रक्रिया की व्यवस्था पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाहियों के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

2— <u>पदों हेतु शैक्षिक योग्यता</u> :–

(1) <u>पद कोड संख्या 01 से 14 तक अंकित पदों हेतु</u> न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

<u>(क) अनिवार्य अर्हता–</u>

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित सबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

<u>(ख) अनुभव–</u>

<u>आचार्य (प्रोफेसर) के पद हेतुः</u>– सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव जिसमें से सम्बन्धित विषय में सह–आचार्य (प्रवाचक)/एसोसियेट प्रोफेसर/रीडर के रूप में कम से कम पांच वर्षो का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक है अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षो का अनुसंधान अनुभव एवं मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यनूतम पांच शोध पत्रों का प्रकाशन।

<u>सह–आचार्य</u> <u>(एसोसिएट प्रोफेसर)</u> **<u>के पद हेतुः</u>** सम्बन्धित विषय में प्रवक्ता/लैक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पांच वर्षो का शिक्षण अनुभव अथवा केन्दीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों

अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पाँच वर्षो का अनुसंधान अनुभव एवं मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों का प्रकाशन।

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) **के पद हेतुः** शिक्षण अथवा अनुसंधान का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ग) अधिमानी अर्हता –

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित विषय में आयुर्वेद विद्यावारिधि (पी0एच0डी0)।
2. संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
3. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन।
4. कम्प्यूटर एवं संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान।

(घ) आयु सीमा–

1. आचार्य / प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयुसीमा – 50 वर्ष
2. सह–आचार्य / एसोसियेट प्रोफेसर / रीडर पद हेतु अधिकतम आयुसीमा – 45 वर्ष
3. सहायक–आचार्य / असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयुसीमा – 40 वर्ष

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(2) **पद कोड संख्या 15 अंकित पद हेतु** न्यूनतम–अनिवार्य / अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा व्याकरण में आचार्य उपाधि अथवा संस्कृत साहित्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(ख) अनुभव–

हिन्दी एवं अग्रेजी कार्यअनुभव।

(ग) अधिमानी अर्हता–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में आयुर्वेद विद्यावारिधि (पी0एच0डी0)।
2. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन।

(घ) आयु सीमा–

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद हेतु **अधिकतम 40 वर्ष**

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(3) पद कोड संख्या 16 से 18 तक अंकित पद हेतु न्यूनतम–अनिवार्य / अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित सबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(3) संस्कृत, हिन्दी एवं अग्रेजी में कार्य अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता–

1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन एवं पुस्तक प्रकाशन।

(ग) आयु सीमा–

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद हेतु **अधिकतम 40 वर्ष**

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(4) पद कोड संख्या 19 से 23 तक अंकित पदों हेतु न्यूनतम–अनिवार्य / अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

ASSISTANT PROFESSOR - BIOTECHNOLOGY

Essential Qualification

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in Biotechnology from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.
2. a) Qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR/ ICMR/ DBT or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the relevant areas in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the NET. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2^{nd} amendment / 3^{rd} amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

Desirable

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records.

ASSISTANT PROFESSOR - CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY

Essential Qualification

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in Life Sciences from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.

2. a) Qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR/ ICMR/ DBT or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the relevant areas in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the NET. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2^{nd} amendment / 3^{rd} amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

Desirable

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records.

ASSISTANT PROFESSOR - HUMAN AND AYURVEDIC BIOLOGY

Essential Qualification

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in Life Sciences / Chemical Sciences with compulsory subject of Zoology at graduation level from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.

2. a) Qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR/ ICMR/ DBT or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the relevant areas in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the NET. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2^{nd} amendment / 3^{rd} amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

Desirable

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records.

ASSISTANT PROFESSOR - CLINICAL PHARMACOLOGY

Essential Qualification

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in Clinical Pharmacology/ Pharmacology from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.
2. a) Qualification in the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE)/ Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) conducted by MHRD/ AICTE.
b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the relevant areas in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the GATE/ GPAT. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2nd amendment / 3rd amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

Desirable

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records.

ASSISTANT PROFESSOR - PHYTOCHEMISTRY

Essential Qualification

1. Good academic record with at least 55% marks or, an equivalent grade of 'B' in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E and F in the Master Degree in Chemistry with specialization in Organic Chemistry from an Indian University, or an equivalent degree from accredited foreign University.
2. a) Qualification in the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/ CSIR/ ICMR/ DBT or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
b) Candidates who have been awarded the Ph.D. degree in the area of Phytochemistry in accordance with the University Grants Commission (regulation 2009) shall be exempted from the requirement of qualification in the NET. However, such candidates must produce a certificate from their University/ Institution that their PhD is as per 2009 regulation / 2nd amendment / 3rd amendment on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges.

Desirable

1. Distinct scholarship from national or international funding agency.
2. Postdoctoral research experience from renowned national/international university/institution.
3. Experience of multidisciplinary research with good publication record in SCI indexed journals.
4. Research experience in the area of Ayurveda and other relevant field with good publication records in SCI indexed journals.

(ख) आयु सीमा– अधिकतम 40 वर्ष ।

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(5) पद कोड संख्या 24 पर अंकित पद हेतु न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

(6) चिकित्सालय एवं तकनीकी संवर्ग हेतु –

i. चिकित्साधिकारी (पद कोड 25)

(1) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालय अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय अथवा औषधालय का कम से कम 06 मास का व्यावसायिक अनुभव या 01 वर्ष की इन्टर्नशीप।

(3) आयु सीमा न्यूनत्तम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हो।

(4) अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य भारतीय चिकित्सा परिषद में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

ii. स्टाफ नर्स (पद कोड 26)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचारिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो अथवा

(3) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(4) आयु सीमा न्यूनत्तम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

iii. एक्स–रे तकनीशियन (पद कोड 27)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से एक्स–रे तकनीशियन का डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(3) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(4) आयु सीमा न्यूनत्तम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

iv. पंचकर्म सहायक (पद कोड 28)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बाइलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) का एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(4) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(5) आयु सीमा न्यूनत्तम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

v. प्रयोगशाला तकनीशियन (पद कोड 29)

(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद / उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(2) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा (डी0एम0एल0टी0 / बी0एम0एल0टी0) होना आवश्यक है।

(3) अभ्यर्थी को किसी भी केन्द / राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।

(4) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(6) आयु सीमा न्यूनत्तम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो।

3— सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण (मात्र पद कोड–26 से 29 तक लागू होगा) :— संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त पदों हेतु आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (शासनादेश संख्या –72 / XXX (2) / 2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014) शासन के पत्रांक 809 / XXX(2) / 2010–3(1) / 2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।"

4— वैवाहिक परिस्थिति — सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

5— आरक्षण :—

(1) ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय, समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i) **"पूर्व सैनिक"** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः— पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

नोटः—

(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए 04%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% (माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन) तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

(5) आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा। चयन के समय उपलब्ध पदों के आधार पर ही आरक्षित/अनारक्षित श्रेणियों में चयन की कार्यवाही की जायेगी।

6— <u>शुल्क</u> :— अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **<u>वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून</u>** के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, **<u>यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा</u>**। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(क)शैक्षणिक संवर्ग एवं चिकित्सालय/तकनीकी संवर्ग के (पद कोड संख्या 01 से 24 तक) हेतु–

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 2000/— मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 2000/— मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 1500/— मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 1500/— मात्र

(ख) चिकित्सालय/**तकनीकी** संवर्ग के (पद कोर्ड संख्या 25 से 28 तक) हेतु –

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 300/— मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 300/— मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 150/— मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 150/— मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग (दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रू0 150/— मात्र

7— राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः—

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

8— **चरित्रः–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

10— जिन पदों लिखित परीक्षा होनी आवश्यक होगी, इस संबंध में पृथक से अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

- **आवेदित पदों में से किन पदों पर साक्षात्कार पत्र निर्गत किया जाए का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।**
- **विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है।**
- **इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।**

11— अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वःप्रमाणित प्रतियों सहित) **कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला परिसर, देहरादून** के नाम **मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से** दिनांक 25.08.2017 की अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। **आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ स्वः पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है।** उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। उक्तानुसार निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा **कालबाधित लिखवाते हुए संबंधित डाकघर से ही वापिस करा दिया जायेगा।** **विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से उपर विज्ञप्ति संख्या, आवेदित पद का नाम एवं पदकोड संख्या लिखा जाना अनिवार्य होगा।**

12— आयु की गणना – आयु की गणना अनुसार 01 जुलाई, 2017 के आधार पर की जायेगी। उक्त तिथि को ही संबंधित अभ्यर्थी आवेदित पद की वांछित अर्हता पूर्ण होनी आवश्यक है।

13— योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14— इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

18— यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा / साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Atlakhar
कुलसचिव